ANNEXURE 4

REGISTRAR
Bohrakoon
Bhimtal
Dist. Nainital
(UK)
MIND POWER UNIVERSITY

क्रम संख्या–30 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 16 मार्च, 2024 ई0

फाल्गुन 26, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 114/XXXVI(3)/2024/13(1)/2024

देहरादून, 16 मार्च, 2024

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024' पर दिनांक 16 मार्च, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 05, वर्ष–2024 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

REGISTRAR
Bohrakoon Bhimtal Dist Nainital (UK)
MIND POWER UNIVERSITY

उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2024)

उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहतरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम की अनुसूची 1 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की अनुसूची–1 में –

(i) क्रम संख्या 4 में "हिमगिरी जी विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर, जहाँ जहाँ वे आते हैं, "जिज्ञासा विद्यापीठ" शब्द रख दिये जायेंगे;

(ii) क्रम संख्या 18 में "हिमालयीय विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर, जहाँ जहाँ वे आते है, "स्पर्श हिमालय विश्वविद्यालय" शब्द रख दिये जायेंगे।

(iii) क्रम संख्या–22 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां सहित अंतः स्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

क्र0स0	विश्वविद्यालय का नाम एवं मुख्य परिसर	अधिनियम का नाम	प्रायोजक निकाय
23.	आम्रपाली विश्वविद्यालय, शिक्षा नगर, ग्राम लामचौड़, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल	आम्रपाली विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2024)	मार्डन एकेडमी एजूकेशन सोसाइटी, जी0टी0 रोड, सिकरी कला, मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201201

अधिनियम की अनुसूची 2 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की अनुसूची–2 में क्रम संख्या सहित निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएगी अर्थात्:–

REGISTRAR
Bohrakoon Bhimtal Dist.Nainital (UK)
MIND POWER UNIVERSITY

क्र0 स0	विश्वविद्यालय का नाम एवं मुख्य परिसर	अधिनियम का नाम	प्रायोजक निकाय
1.	माइन्ड पावर यूनिवर्सिटी, ग्राम बोहराकून रोड, भीमताल, नैनीताल	उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024	माइन्ड पावर एजुकेशनल बी–2/73, द्वितीय तल, सेक्टर–06, रोहिणी, दिल्ली–110085
2.	डीबीएस ग्लोबल विश्वविद्यालय, 122 एमआई सेलाकुई, देहरादून	उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024	एसके एजुकेशनल ट्रस्ट एफ–1, रेसकोर्स, देहरादून
3.	माया देवी विश्वविद्यालय, एन0एच–72, निकट होटल दी कॉम्पीटेन्ट पैलेस, सेन्ट्रल होप टाऊन, सेलाकुई, चकराता रोड, देहरादून	उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024	माया देवी एजुकेशनल फाउण्डेशन, 4 बलबीर रोड, देहरादून
4.	श्रीमती मंजीरा देवी विश्वविद्यालय, हिटाणू धनारी, डूण्डा, उत्तरकाशी	उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024	श्रीमती मंजीरा देवी शिक्षण एवं प्रशिक्षण समिति, डॉ0 हरिशंकर नौटियाल भवन, ग्राम हिटाणु, पो0 पुजार गांव, धनारी, तहसील डुंडा, उत्तरकाशी

कठिनाईयों के निवारण करने की शक्तियां

4\. (1) यदि माइन्ड पावर यूनिवर्सिटी, नैनीताल अथवा डीबीएस ग्लोबल विश्वविद्यालय, देहरादून अथवा माया देवी विश्वविद्यालय, देहरादून अथवा श्रीमती मंजीरा देवी विश्वविद्यालय, उत्तरकाशी की स्थापना के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु यह कि कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से 03 (तीन) वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

व्यावृत्ति

5\. ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

नितिन शर्मा,

प्रमुख सचिव।

REGISTRAR
MIND POWER UNIVERSITY
Bohrakbon Bhimtal Dist.Nainital (UK)